	कार्यवाही विवरण	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
31.08.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी स्वंय उपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को राजकीय घोषित करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के 1/16 हिस्सें को छोड़कर उक्त सम्पूर्ण भूमि पर बजरी खनन हुआ है। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा फर्द मौका पटवारी हल्का दिनांक 21.01.2019 के अवलोकन से सावित है कि ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के भूमि खसरा नम्बर 546 रकवा 0.8200 हैक्टर में अप्रार्थीगण द्वारा अवैध बजरी खनन कर उक्त भूमि को अयोग्य काश्त कर दिया है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 177 आर0 टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मावत पटवार हल्का जहाज तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 546 रकबा 0.8200 हैक्टर को सिवायचक(राजकीय भूमि) घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा राजहक में लिये जाने का आदेश दिया जाता है।** 31.8.21 (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2021.09.14 16:12:25 IST Reason: SelfAttested **आज दिनांक 31.8.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** 31.8.21 (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	

Scanned with CamScanner